

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.कमांक-209 / 2013
 संस्थित दिनांक-12.03.2013
 फाईलिंग क. 234503002852013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-गढ़ी

जिला-बालाघाट (म.प्र.) - - - - - **अभियोजन**

// विरुद्ध //

ईतवारी मरावी पिता रामसिंह मरावी, उम्र-40 वर्ष, जाति गोंड

निवासी-ग्राम हर्राटोला संजारी, थाना गढ़ी,

जिला-बालाघाट (म.प्र.) - - - - - **आरोपी**

// निर्णय //

(आज दिनांक-01 / 03 / 2016 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-458, 294, 324 (दो बार) 506 (भाग-2) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-24.01.2013 को शाम 7:00 बजे आरक्षी केन्द्र गढ़ी अंतर्गत ग्राम संजारी के हर्राटोला में फरियादी हिरोन्दाबाई पर हमला कारित करने के आशय से उसके मकान में सूर्यास्त के पश्चात् तथा सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित कर, फरियादी कुमारी हिरोन्दाबाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, आहतगण हिरोन्दाबाई एवं गनसीबाई को धारदार कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी कुमारी हिरोन्दाबाई को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादी हिरोन्दाबाई ग्राम हर्राटोला संजारी रहती है तथा आंगनवाड़ी में सहायिका के पद पर कार्य करती है। दिनांक-24.01.2013 को शाम करीब 7:00 बजे फरियादी हिरोन्दाबाई अपने घर में थी, तो उसका सगा जेठ ईतवारी मरावी उसके घर के सामने कुल्हाड़ी लेकर आया और उससे कहने लगा कि तू अपना घर छोड़कर चली जा, तेरा यहां हिस्सा बंटवारा नहीं है। आरोपी फरियादी हिरोन्दाबाई को झगड़ा करती है कहते हुए उसे माँ-बहन को चोदू की गंदी-गंदी गालियां देने लगा। जब उसने उसे गाली देने से मना किया तो आरोपी

ने उसे साली ज्यादा बात करती है कहकर हाथ में रखी कुल्हाड़ी से मारा, जिससे उसे बाँए गाल, बाँई आंख की भौं पर तथा दाहिने हाथ के कंधे पर चोट लगी थी और खून निकला था। उसका बीच-बचाव करने उसकी बहन गनसीबाई, माँ कमलीबाई आई तो आहत गनसीबाई को भी आरोपी ने कुल्हाड़ी से दाहिने कंधे पर मारा, जिससे उसका खून निकला। जब वह घर के अंदर भागी तो वह भी घर के अंदर घुस आया और उसे जान से खत्म कर देने की धमकी दिया। फरियादी हिरोन्दाबाई ने उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना गढ़ी में आरोपी ईतवारी के विरुद्ध लेख कराई गई, जिस पर पुलिस थाना गढ़ी द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-03/2013, धारा-294, 323, 324, 456, 506 भाग-2 भा.द.वि. पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, घटनास्थल का नजरीनक्शा बनाया गया तथा घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी जप्त की गई, साक्षियों के कथन लिये गये एवं आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-458, 294, 324 (दो बार), 506 (भाग-दो) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र. सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-24.01.2013 को शाम 7:00 बजे आरक्षी केन्द्र गढ़ी अंतर्गत ग्राम संजारी के हर्टाटोला में फरियादी हिरोन्दाबाई पर हमला कारित करने के आशय से उसके मकान में सूर्यास्त के पश्चात् तथा सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी कुमारी हिरोन्दाबाई को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहतगण हिरोन्दाबाई एवं गनसीबाई को धारदार कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?

4. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी कुमारी हिरोन्दाबाई को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

5— फरियादी हिरोन्दाबाई (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आरोपी ईतवारी उसका जेट है। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व शाम के 7:00 बजे की है। जब वह अपने घर पर थी, तब आरोपी उसके घर आया और गंदी-गंदी गालियां तेरी बहन को चोदू, तेरी मां को चोदू की अश्लील गालियां दी और कुल्हाड़ी से उसे दाहिने गाल पर मारा, जिससे उसे खून निकलने लगा। खेत बाड़ी को लेकर आरोपी ने उससे झगड़ा किया था। उक्त घटना की रिपोर्ट उसने थाना गढ़ी में की थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर में हुआ था। पुलिस ने कुल्हाड़ी जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 तैयार किया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी से उसका जमीन का विवाद है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 में पुलिसवालों के कहने पर हस्ताक्षर कर दिए थे, जो उस समय कोरा था। यद्यपि बचाव पक्ष की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट की इबारत को पढ़कर साक्षी के प्रतिपरीक्षण में ऐसी चुनौती नहीं दी गई है कि उक्त रिपोर्ट उसके द्वारा लेख नहीं कराई गई है। ऐसी दशा में उक्त तथ्य का अधिक महत्व नहीं रह जाता है। वैसे भी प्रथम सूचना रिपोर्ट सारवान साक्ष्य नहीं है। इस प्रकार साक्षी ने मारपीट के संबंध में उसके द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन के अनुरूप न्यायालयीन कथन किये हैं, जिसका खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है।

7— आहत गनसीबाई (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानती है। हिरोन्दाबाई उसकी बहन है। घटना लगभग एक वर्ष पूर्व शाम के 7:00 बजे उसकी बहन हिरोन्दाबाई के घर की है। आरोपी ने दौड़कर हिरोन्दाबाई को कुल्हाड़ी से मार दिया था, जिससे उसके गाल में चोट आई थी और खून निकल रहा था। उसने बीच-बचाव किया था, तो आरोपी ने उसे भी कुल्हाड़ी से मार दिया था, जिससे उसे दाहिने कंधे में चोट आई थी। उसका ईलाज शासकीय

अस्पताल बहर में हुआ था। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह घटना के समय घर के अंदर थी, इसलिए किसने, किसको मारा वह देख नहीं पाई थी। यद्यपि साक्षी का स्वतः कथन है कि उसकी बहन हिरोन्दाबाई घटना के समय गिर गई थी, जिसे उठाने के लिए गई थी, तब उसे भी आरोपी ईतवारी ने कुल्हाड़ी से मारा था। इस प्रकार साक्षी के संपूर्ण कथन के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि घटना के समय आरोपी ने आहतगण हिरोन्दाबाई एवं उसे कुल्हाड़ी से मारकर साधारण चोट पहुंचाई थी।

8— आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डॉक्टर एन.एस. कुमरे (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में इस तथ्य की पुष्टि की है कि आहतगण गनसीबाई एवं हिरोन्दाबाई को क्रमशः दाहिनी पीठ व कंधे के ज्वाईट पर एवं बाएं चेहरे पर हड्डी की गहराई तक कड़ी एवं धारदार वस्तु से चोट कारित हुई थी। उक्त आहतगण की परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-3 एवं प्रदर्श पी-4 है। इस प्रकार उक्त चिकित्सीय साक्षी के कथन से भी घटना के समय आहतगण हिरोन्दाबाई व गनसीबाई को धारदार वस्तु से साधारण चोट कारित होने की पुष्टि होती है।

9— कमलीबाई (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि प्रार्थी हिरोन्दाबाई उसकी बेटी है और आरोपी ईतवारी उसकी बेटी हिरोन्दाबाई का जेठ है। उक्त घटना लगभग दो साल पहले की है। घटना दिनांक को वह अपनी बेटी हिरोन्दाबाई के घर पर थी, तो आरोपी कुल्हाड़ी लेकर उसकी बेटी के घर के सामने आया और हिरोन्दाबाई को कुल्हाड़ी से गाल पर मार दिया था। गनसीबाई उसकी छोटी बेटी है, जो बीच-बचाव करने गई थी तो आरोपी ने उसे पीठ पर कुल्हाड़ी से मार दिया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में घटना का समर्थन किया है।

10— मिठ्ठनसिंह (अ.सा.7) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसकी पत्नी गनसीबाई के बताने पर उसे घटना की जानकारी हुई, तो वह मौके पर पहुंचा था, तब आरोपी भाग गया था। उक्त विवाद में उसकी पत्नी गनसीबाई और आहत हिरोन्दाबाई को चोट आई थी। बाद में वे लोग रिपोर्ट दर्ज कराने थाना गए थे। इस प्रकार साक्षी ने स्वयं घटना होते हुए नहीं देखी है, बल्कि घटना के पश्चात् पहुंचकर देखा गया वृत्तांत के आधार पर और पत्नी के बताने पर घटना की जानकारी दी है। इसी प्रकार अन्य

साक्षी त्रिलोक धुर्वे (अ.सा.4) ने भी अपनी साक्ष्य में अनुश्रुत साक्षी के रूप में घटना के बारे में जानकारी दी है।

11— अनुसंधानकर्ता अधिकारी दिनेश पॉल (अ.सा.6) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-25.01.2013 को थाना गढ़ी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को हिरोन्दाबाई की मौखिक रिपोर्ट पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-3/13, धारा-294, 323, 324, 456, 506 बी भा.द.वि. के तहत आरोपी ईतवारी के विरुद्ध उपनिरीक्षक आशीष राजपूत के द्वारा लेख की गई थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसे वह साथ में कार्य करने के कारण पहचानता है। उक्त अपराध क्रमांक की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक-28.01.2013 को उक्त घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-7 हिरोन्दाबाई की निशानदेही पर तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी हिरोन्दाबाई, साक्षी गनसीबाई, पतिराम, त्रिलोकसिंह, कमलीबाई, मिट्ठन के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। उक्त दिनांक को ही आरोपी के घर की बाड़ी से जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 अनुसार एक कुल्हाड़ी बेसे सहित जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी से साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-8 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामलों में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

12— फरियादी/आहत हिरोन्दाबाई (अ.सा.1) एवं आहत गनसीबाई (अ.सा.2) की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आरोपी ने घटना के समय धारदार कुल्हाड़ी से उन्हें मारकर उन्हें साधारण चोट पहुंचाई थी। इस तथ्य का समर्थन चक्षुदर्शी साक्षी कमलीबाई (अ.सा.3) ने भी अपनी साक्ष्य में किया है। आरोपी द्वारा की गई धारदार वस्तु के रूप में कुल्हाड़ी का उपयोग कर आहतगण को उपहति कारित करने की पुष्टि चिकित्सीय साक्षी की साक्ष्य से भी प्राप्त होती है।

13— बचाव पक्ष की ओर से आहतगण के प्रतिपरीक्षण में यह सुझाव नहीं दिया गया है कि घटना के समय उनके द्वारा किसी प्रकार से प्रकोपन दिये जाने पर आरोपी ने उक्त उपहति कारित की थी। इस कारण आरोपी को धारा-334 भा.द.वि के अंतर्गत अपवादिक परिस्थिति का लाभ भी प्राप्त नहीं होता है।

14— आरोपी के द्वारा आहतगण को कुल्हाड़ी से मारकर उपहति कारित किये जाने के समय निश्चित रूप से उसका आशय उपहति कारित करने का रहा है तथा वह इस संभावना को जानता था कि उक्त कृत्य से आहतगण को उपहति कारित होगी। इस प्रकार आरोपी के द्वारा आहत हिरोन्दाबाई व गनसीबाई को पहुंचाई गई उपहति स्वेच्छया उपहति कारित करने की श्रेणी में आती है।

15— अनुसंधानकर्ता अधिकारी दिनेश पॉल (अ.सा.6) के द्वारा अनुसंधान कार्यवाही के दौरान तैयार घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-7 में मारपीट वाला स्थान फरियादी के घर के सामने रास्ते से लगा हुआ स्थान के रूप में दर्शित किया है। स्वयं आहत हिरोन्दाबाई एवं गनसीबाई ने अपनी साक्ष्य में यह नहीं बताया है कि आरोपी ने उन्हें घर के अंदर मारपीट की थी। चक्षुदर्शी साक्षी कमलीबाई (अ.सा.3) के अनुसार आरोपी कुल्हाड़ी लेकर हिरोन्दाबाई के घर के सामने आया था और वहां मारपीट की थी। इस प्रकार उक्त संपूर्ण तथ्यों को एक साथ विचार में लिये जाने पर यह प्रकट होता है कि आरोपी के द्वारा फरियादी हिरोन्दाबाई के घर में घुसकर मारपीट नहीं की गई थी, बल्कि उसके घर के सामने मारपीट की गई थी। ऐसी दशा में साक्ष्य के अभाव में यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने फरियादी हिरोन्दाबाई पर हमला कारित करने के आशय से उसके मकान में सूर्यास्त के पश्चात् तथा सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया।

16— आहत हिरोन्दाबाई (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में यह बताया है कि आरोपी ने घटना के समय उसे गन्दी-गन्दी गलियां दी थी, किन्तु अन्य महत्वपूर्ण साक्षी गनसीबाई (अ.सा.2) एवं कमलीबाई (अ.सा.3) ने अपनी साक्ष्य में उक्त के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। स्वयं हिरोन्दाबाई (अ.सा.1) ने भी यह नहीं बताया है कि कथित गालियां उसे एवं अन्य दूसरों को सुनने में बुरी लगी। आरोपी द्वारा कथित गाली-गलौज किये जाने के संबंध में अन्य साक्षीगण के कथन से समर्थन प्राप्त नहीं होता है। आरोपी एवं फरियादी आदिवासी समाज एवं ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति होने से उनके मध्य मामूली गाली-गलौज की शब्दावली को अश्लील शब्दों या ऐसी गाली के रूप में नहीं देखा जा सकता जिससे फरियादी एवं अन्य दूसरों को क्षोभ कारित हो।

17— प्रकरण में आरोपी के द्वारा फरियादी हिरोन्दाबाई को जान से मारने की धमकी दिए जाने के संबंध में भी पूर्णतः साक्ष्य का अभाव है। अभियोजन के किसी भी साक्षी ने कथित जान से मारने की धमकी के संबंध में अपनी साक्ष्य में कोई कथन

नहीं किये हैं।

18— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि स्पष्ट साक्ष्य का अभाव होने से यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता कि आरोपी ने फरियादी हिरोन्दाबाई को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। यह तथ्य भी संदेह से परे प्रमाणित नहीं है कि आरोपी ने फरियादी हिरोन्दाबाई पर हमला कारित करने के आशय से उसके मकान में सूर्यास्त के पश्चात् तथा सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार कारित किया। फलतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-458, 294, 506 भाग-2 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

19— अभियोजन ने यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहतगण हिरोन्दाबाई एवं गनसीबाई को धारदार कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया। फलतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324(दो बार) के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

20— आरोपी को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया जाता है।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

पश्चात्—

21— आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उसका प्रथम अपराध है तथा उसके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। उसके द्वारा प्रकरण में वर्ष 2013 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा वह नियमित रूप से उपस्थित होते रहा है। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

22— मामले की परिस्थिति व अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने पर न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव नहीं है।

अतएव मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है:—

धारा	कारावास की सजा	अर्थदण्ड की राशि	अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में कारावास
धारा-324 भा.द.वि. (आहत हिरोन्दाबाई की उपहति के लिए)	6 माह का साधारण कारावास	500 /—	1 माह का साधारण कारावास
धारा-324 भा.द.वि. (आहत गनसीबाई की उपहति के लिए)	6 माह का साधारण कारावास	500 /—	1 माह का साधारण कारावास

23— आरोपी को सभी कारावास की सजा एक साथ भुगतायी जावे।

24— आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

25— प्रकरण के विचारण के दौरान आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रहा हैं। उक्त के संबंध में धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत पृथक से प्रमाण-पत्र तैयार किया जावे।

26— प्रकरण में जप्तशुदा लोहे की कुल्हाड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट